औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के प्रमुख कदम एवं उपलब्धियां - 2016 आर्थिक विकास के लिए एफडीआई नीति में सुधार

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति तैयार की गई

औद्योगिक गलियारों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करेगा राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी)

'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्ट-अप इंडिया' के तहत प्रोत्साहन

Posted On: 04 JAN 2017 7:03PM by PIB Delhi

वर्षान्त समीक्षा - 2016

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

परत्यक्ष विदेशी निवेश

2016 का समेकित एफडीआई नीति परिपत्रः

- इस श्रुंखला का नौंवा संस्करण 7 जून, 2016 को जारी किया गया था, जिसमें अंतिम एफडीआई परिपत्र (सर्कुलर) जारी होने के बाद अर्थात 12 मई, 2015 के बाद से लेकर अब तक एफडीआई नीति में किये गये सभी संशोधन शामिल हैं।
- 🔹 इसे सरल एवं निवेशक अनुकूल बना दिया गया है और यह एफडीआई नीति के विभिन्न प्रावधानों पर विदेशी निवेशकों के लिए एक तैयार संदर्भ के रूप में होगा।

नीतिगत सुधारः

- घरेलू पूंजी, प्रौद्योगिकी एवं कौशल के लिए पूरक के तौर पर आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने 20 जून, 2016 को एफडीआई नीति से जुड़े सुधारों की घोषणा की थी। प्रेस नोट जारी होने की तिथि अर्थात 24 जून, 2016 से नीतिगत संशोधन प्रभावी हो गये हैं।
- सुधारों में अन्य बातों के अलावा मंजूरी रूट के तहत रक्षा क्षेत्र में 49 प्रतिशत से ज्यादा एफडीआई और मंजूरी रूट के तहत भारत में निर्मित/उत्पादित खाद्य उत्पादों में ई-कॉमर्स के लिए 100 प्रतिशत एफडीआई भी शामिल हैं।
- 🔹 सरकार ने अन्य वित्तीय सेवाओं और गैर वैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर एफडीआई नीति की समीक्षा की। इसके लिए प्रेस नोट 6 (2016), दिनांक 25.10.2016 देखें।
- वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा विनियमित वित्तीय सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों में विदेशी निवेश स्वतः रूट के तहत 100 फीसदी होगा।

• अंतर्वाहः

- पिछले वित्त वर्ष (2015-16) के दौरान कुल एफडीआई प्रवाह 55.6 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 23 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इतना ही नहीं, यह अब
 तक के किसी भी वित्त वर्ष में एफडीआई का सर्वाधिक अंतर्वाह है।
- चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल-अक्टूबर, 2016-17 में कुल एफडीआई प्रवाह 27.82 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा, जबिक इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अविध में यह आंकड़ा 21.87 अरब अमेरिकी डॉलर का था।
- कुल **इक्विटी प्रवाह का लगभग 41.5 प्रतिशत हिस्सा विनिर्माण के खाते में रहा,** जबकि करीब 58.5 प्रतिशत हिस्सा गैर-विनिर्माण के खाते में रहा (अप्रैल 2014 से लेकर सितंबर 2016 तक की अविध के दौरान)।

• बौद्धिक संपदा

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीतिः

- मई 2016 में सरकार ने पहली बार एक व्यापक राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति अपनाई, ताकि बौद्धिक संपदा के लिए आगे का खाका तैयार किया जा सके।
- इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय बौद्धिक संपदा से संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर करना है, इससे देश में एक नवाचार आंदोलन सृजित होने की उम्मीद है और यह 'रचनात्मक भारत, अभिनव भारत' की आकांक्षा को दर्शाती है।
- इस नीति के उद्देश्य ये हैं- आईपीआर के प्रति जागरूकता बढ़ाना, आईपीआर के सृजन को नई गित प्रदान करना, मजबूत एवं कारगर आईपीआर कानून बनाना, सेवा उन्मुख आईपीआर प्रशासन को आधुनिक एवं मजबूत बनाना, वाणिज्यीकरण के जिए आईपीआर के लिए मूल्य प्राप्त करना, आईपीआर संबंधी उल्लंघन की समस्या से निपटने के लिए प्रवर्तन और अधिनिर्णयन तंत्र को मजबूत करना, आईपीआर से जुड़े शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कौशल निर्माण के लिए मानव संसाधन, संस्थानों तथा क्षमताओं को सुदृढ़ एवं विस्तृत करना।

औद्योगिक ढांचा

- राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी):
- दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी-पीआईटीएफ ट्रस्ट) को अब औद्योगिक गलियारों के एकीकृत विकास के विस्तृत अधिदेश के साथ फिर से नामित किया गया है।
- 🔹 यह देश में सभी औद्योगिक गलियारों के समन्वित एवं एकीकृत विकास के उद्देश्य से डीआईपीपी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक शीर्ष निकाय होगा ।

उद्योग को सहायता

भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम

- भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है।
- वर्ष 2016-17 के दौरान 1.44 लाख लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्षय रखा गया है। इसके अंतर्गत 60705 बेरोजगार लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 48752 प्रशिक्षुओं को चमड़ा एवं फुटवियर उद्योग मे रोजगार दिया गया है।
- संस्थागत बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए बनुर (पंजाव) और अंकलेश्वर (गुजरात) में फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई) की दो नई शाखाओं की स्थापना हेतु सहायता दी गई है।

• निवेश संवर्धन

मेक इन इंडियाः

🕨 मेक इन इंडिया पहल के दो वर्ष पूरे हो जाने पर 11 क्षेत्रों अर्थात विद्युत, खनन, ऑटोमोटिव, दूरसंचार, वस्त्र एवं परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी, कौशल विकास, चमड़ा, बंदरगाह व शिपिंग,

पर्यटन तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों से संबंधित रिपोर्टों को वर्ष के दौरान जारी किया गया है।
कारोबार करने में सुगमता
विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस 2017 रिपोर्ट से पता चला है कि पहली बार 'डिस्टैंस टू फ्रंटियर' का पूर्ण स्कोर लगातार दो वर्षों के दौरान बढ़ गया है। यह पिछले एक वर्ष की अविध के दौरान 2.5 प्रतिश्रत की वृद्धि को दर्शाते हुए 55.27 से बढ़कर 53.93 के स्तर पर पहुंच गया है। इस स्कोर के जरिये भारत और विश्व स्तर पर अपनाये जाने वाले सर्वोत्तम तौर-तरीकों के बीच के अंतर को मापा जाता है।
स्टार्ट-अप इंडिया
स्टार्ट अप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स: सिडबी द्वारा वेंचर फंडों के लिए 129 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता जताई गई। आरबीआई द्वारा जारी की गई अधिसूचना के तहत विदेशी वीसी को किसी भी भारतीय स्टार्ट अप द्वारा जारी की जाने वाली इक्विटी अथवा इक्विटी से जुड़े प्रपत्र या डेट प्रपत्र में आरबीआई की मंजूरी के वगैर निवेश करने की इजाजत दी गई।

वीके/आरआरएस/एम- 165

(Release ID: 1485978) Visitor Counter: 22

f ᠑ In